32. प्रबंध निदेशक,
सन्नी इंडस्ट्रीज प्रा० लि०,
कलकत्ता–700025

33. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स कोलफेक्स लेब्रोटोरीज इंडिया प्रा० लि०, फोण्डा, गोवा ।

34. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स कासमेटिक एंड टोइलेट कारपोरेशन, 3 के बी लेन,
कलकत्ता–37

35. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स विक्को लेब्रोटोरीज,
12, धरम पुत्र,
डा० अम्बेदकर रोड, दादर,
बम्बई–400014

36. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स इंडियन कासमेटिक,
35/जे, राजा नवा कृष्णन स्ट्रीट,
कलकत्ता–70005

37. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स पिडीलिटी इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
बम्बई–400021

38. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स अमृतांजन लि०, 42–45,
लुज चुग्रोल रोड, मद्रास–600004

39. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स कोठारी प्रोडक्टस प्रा0लि0,
24/19, थेमाहल, कानपुर – 208006.

High Level Committee On the ICAK

2448. SHRl NARESH C. PUGLIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state;

(a) the names of the members including its Chairman of the High Level Committee which was set up some time back to examine the working of ICAR and what is the terms of Offlce of the Chairman; and

(b) by when a report is likely !o be submitted by he siad Commitee?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI Y0-GENDRA MAKWANA): (a) and (b) The matter i$ under consideration ?tid details will be furnished as soon it is finai'sed.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने का सुझाव

2449. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जुलाई, 1986 में सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद्, आलमबाग, लखनऊ के अध्यक्ष की ओर से कोई मांग-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें दिए गए मुख्य सुझाव क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी हां । परिषद् की कुछ मुख्य मांगे इस प्रकार हैं :—

(i) उचित दर की दुकानों के मालिकों के मार्जिन में वृद्धि की जाए ।

(ii) बैंक ड्राफ्ट के कमीशन का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए ।

(iii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं ।

(iv) उचित दर की दुकान के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही केवल तभी आरम्भ की जाए जब कोई विशेष आरोप प्रमाणित हो जाए ।